दत्तक ग्रहण जागरूकता माह

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिये नवंबर माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाता है।

- **परिचय:** यह **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** के तहत स्थापित एक **वैधानिक निकाय है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।
  - यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिये **नोडल निकाय है, जिसे देश के अंदर और अंतर्देशीय स्तर पर गोद लेने की निगरानी** और विनियमन का दायित्व सौंपा गया है।
    - भारत में अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993 का पालन करता है, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 2003 में अनुमोदित किया था।
- दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय **"देखदेख और पालन-पोषण की भावना द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास"** है।
- **हेग कन्वेंशन** एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो उन **बच्चों की त्वरित वापसी** को सुनिश्चित करती है, जिनका "अपहरण" कर उन्हें उस जगह पर रहने से वंचित कर दिया गया है, जहाँ वे रहने के अभ्यस्त हैं।
  - जब बच्चा 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो यह अभिसमय लागू नहीं होता है।

और पढ़ें: भारत में दत्तक ग्रहण

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/adoption-awareness-month